झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
सप्तदश (मॉनसून) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 07 श्रावण, 1946 [श0] / 29 जुलाई, 2024 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	अ0सू0– 30	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	फायर स्टेशन स्थापित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
02–	अ0सू0– 23	श्री भूषण तिर्की	शिक्षा भत्ता लागू करना।	वित्त	24.07.2024
03–	अ0सू0– 19	श्री निरल पुरती	वेतनमान लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
04–	अ0सू0– 11	श्री अमित कुमार मण्डल	शहीद का दर्जा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
05–	अ0सू0– 04	श्री सरयू राय	मुआवजा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
06–	अ0सू0– 07	श्री प्रदीप यादव	स्थायी समाधान करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
07–	अ0सू0– 18	श्रीमती सुनीता चौधरी	स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
# 08–	अ0सू0– 31	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	प्रोन्नति देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024

#→ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक- 4859, दि0- 25/07/24 के द्वारा पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
09—	अ0सू0— 03	श्री सरयू राय	कार्रवाई करना।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी	24.07.2024
10—	अ0सू0— 22	श्री अमित कुमार यादव	मान्यता देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
11—	अ0सू0— 27	श्री राजेश कच्छप	राज भाषा का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
12—	अ0सू0— 32	श्री कमलेश कुमार सिंह	सीमा तय करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
13—	अ0सू0— 08	श्री प्रदीप यादव	लाभ देना।	वित्त	24.07.2024
14—	अ0सू0— 16	डॉ0 लम्बोदर महतो	जनजातीय भाष में रखना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
15—	अ0सू0— 24	श्री रामचन्द्र सिंह	राशि स्थानांतरण करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
16—	अ0सू0— 25	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	यातायात पुलिस का पद स्थापन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
17—	अ0सू0— 21	श्री अनन्त कुमार ओझा	विधिसम्मत कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
18—	अ0सू0— 01	श्री विकास कुमार मुण्डा	कार्यालय स्थापित करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
# 19—	अ0सू0— 26	श्री कमलेश कुमार सिंह	पुनः विज्ञापन प्रकाशित कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
= 20—	अ0सू0— 13	श्री लोबिन हेम्ब्रम	आउट सोर्सिंग से मुक्त कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
21—	अ0सू0— 12	श्री विनोद कुमार सिंह	स्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
22—	अ0सू0— 28	श्री उमाशंकर अकेला	पुलिस पिकेट बनाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
23—	अ0सू0— 20	श्रीमती सुनीता चौधरी	अपराधिक घटना रोकना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
24—	अ0सू0— 17	डॉ0 लम्बोदर महतो	अधिनियम लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
25—	अ0सू0— 10	श्री बिरंची नारायण	अनुबंधित कर्मियों को परमानेन्ट करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024

→ कार्मिकु, प्रशासनिकु सुधार तथा राजभाषा विभाग के जापांकु-4860, दिनांकु-25/07/24 कृ0पृ0उ0—
के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

= → कार्मिकु, प्रशासनिकु सुधार तथा राजभाषा विभाग के जापांकु-4858, दिनांकु-25/07/24 के
द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-शासन विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
26–	अ0सू0– 09	श्री समीर कुमार मोहन्ती	सेवा स्थायी करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
27–	अ0सू0– 05	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	अनुमण्डल का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
28–	अ0सू0– 02	श्री विनोद कुमार सिंह	मुआवजा का प्रावधान करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
29–	अ0सू0– 29	श्री अमित कुमार यादव	सेवा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.07.2024
30–	अ0सू0– 14	श्री बिरंची नारायण	अपराध नियंत्रण करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
31–	अ0सू0– 06	श्री अमित कुमार मण्डल	कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2024
बु') 32–	अ0सू0– 15	श्री लोबिन हेम्ब्रम	प्रभावी कदम उठाना।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी	24.07.2024

नोट:– * दिनांक– 26.07.2024 के प्रभाव से पंचम् झारखण्ड विधान–सभा की सदस्यता से निरर्हित।

राँची,
दिनांक– 29 जुलाई, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0 वि0 स0 प्रश्न– 02/2020........3450/वि0स0, रांची, दिनांक– 28 07/24

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/2024
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0 वि0 स0 प्रश्न– 02/2020........3450/वि0स0, रांची, दिनांक– 28/7/24

प्रतिः– मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

28.07/024
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0 वि0 स0 प्रश्न– 02/2020........3450/वि0स0, रांची, दिनांक– 28/7/24.

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/024
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष

बु'→ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के ज्ञापांक-1058, दिनांक-25.07.24 के द्वारा वित्त विभाग में स्थानांतरित।

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि माण्डर विधानसभा अन्तर्गत चान्हों, माण्डर, बेड़ो, ईटकी एवं लापुंग प्रखण्ड वन अच्छादित क्षेत्र होने के कारण अगलगी जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है कुछ दिनों पूर्व चान्हों प्रखण्ड के ग्राम– रामदगा में अगलगी की घटना में लगभग 10 घर पूरी तरह जल गये, जिससे संबंधित ग्रामीणों को गंभीर क्षति हुई;	स्वीकारात्मक वर्ष जनवरी, 2023 से जून, 2024 तक का अग्निशामालय पिस्का मोड़, राँची से प्राप्त अग्नि प्रतिवेदन के अनुसार मांडर विधानसभा अन्तर्गत प्रखण्डों में हुए अग्निकांडो की विवरणी निम्नस्वरूप है:– 1. चान्हों प्रखण्ड में कुल 03 (तीन) अग्निकांड की घटना घटित हुई है, दो बड़ी आग एवं एक मध्यम आग है। ये बात सत्य है कि कुछ दिनों पूर्व चान्हों प्रखण्ड के ग्राम–रामदगा में अगलगी की घटना में लगभग 10 घर जल गये जिससे संबंधित ग्रामीणों को क्षति हुई, किन्तु अग्निशामालय पिस्का मोड़ से अग्निशमन दस्ता घटना स्थल पर पहुँच कर त्वरित अग्निशमन का कार्य किया गया। 2. इटकी प्रखण्ड में कुल 01 (एक) अग्निकांड की घटना घटित हुई है, जो मध्यम आग है। 3. मांडर प्रखण्ड में कुल 03 (तीन) अग्निकांड की घटना घटित हुई है, जिसमें सभी मध्यम आग है। 4. बेड़ो प्रखण्ड में कुल 03 (तीन) अग्निकांड की घटना घटित हुई है, जिसमें सभी मध्यम आग है। 5. बुढ़मू प्रखण्ड में कुल 01 (एक) अग्निकांड की घटना घटित हुई है, जो मध्यम आग है। उपर्युक्त घटित अग्निकांडों में अग्निशामालय पिस्का मोड़, राँची से अग्निशमन दस्ता द्वारा ससमय घटना स्थल पर त्वरित अग्निशमन का कार्य किया गया।
2	क्या यह बात सही है, कि राँची जिले के माण्डर, बेड़ो, ईटकी, चान्हो, लापुंग, बुढमू आदि प्रखण्डों में अगलगी जैसी आपदाओं की स्थिति से निपटने में वहाँ प्रशासनिक दृष्टि से अक्षमता है क्योंकि कोई भी फायर स्टेशन नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन सभी वर्णित प्रखण्डों के केन्द्र स्थल माण्डर में फायर स्टेशन स्थापित करने पर सरकार विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांक–05 / वि0स0–07 / 07 / 2024– 4310 /राँची, दिनांक 28/07/ 2024 ई0।

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3149, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

श्री भूषण तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–23 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार में केन्द्र सरकार के अनुरूप सरकारी कर्मियों के लिए सप्तम् वेतनमान् लागू हैं?	**स्वीकारात्मक**
2. क्या यह बात सही है, कि सप्तम् वेतनमान् में भारत सरकार के पत्रांक– A& 2712/02/01/017-ESH-(AL) Block- iv, OLD JNU Comrty New Delhi, Dated 16th/17th July, 2018 के कंडिका 2 (a) एवं (b) में केन्द्रीय कर्मियों को दो बच्चों के लिए Children Education Allowance प्रति बच्चा 2250/- रूपये निर्धारित किया गया है?	**स्वीकारात्मक**
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Children Education Allowance लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? झारखण्ड में केन्द्र सरकार की तर्ज पर children education Allowance लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	6th केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008 में केन्द्रीय कर्मियों के अधिकतम 02 (दो) संतान के लिए Children Education Allowance प्रति माह प्रति संतान 1000/-रूपये अनुमान्य किया गया, जिसे वर्ष 2014 में बढ़ाकर 1500/-रूपये किया गया। पुन 7th केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2017 में बढ़ाकर इसे 2250/- रूपये प्रतिमाह प्रति संतान किया गया है । वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मियों को संतान शिक्षण भत्ता (Children Education Allowance) अनुमान्य नहीं है। चूँकि राज्य सरकार के कर्मियों को संतान शिक्षण भत्ता (Children Education Allowance) अनुमान्य करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। इस संबंधित सभी वित्तीय पहलू एवं अन्य राज्यों में प्रभावी नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालचल प्रदेश एवं पंजाब सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उनके राज्य के सरकारी सेवकों को Children Education Allowance अनुमान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, नागालैंड, केरल एवं हरियाणा में Children

	Education Allowance की सुविधा अलग–अलग स्वरूप एवं दर पर अनुमान्य है। तमिलनाडु राज्य के सरकारी सेवकों को Children Education Allowance की सुविधा केन्द्र सरकार के अनुरूप अनुमान्य है। Children Education Allowance से संबंधित नियम/ आदेश की प्रति उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 963/वि॰ दिनांक 02.04.2024 द्वारा मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/तेलंगाना/आन्ध्र प्रदेश/ तमिलनाडु/ कर्नाटक/ केरल/ गुजरात/ राजस्थान/ दिल्ली/ उत्तराखण्ड/ हरियाणा/ पंजाब/ हिमाचल प्रदेश/ जम्मू एवं कश्मीर/ असम / अरूणाचल प्रदेश/ नागालैंड/ मणिपुर/ त्रिपुरा/ मिजोरम एवं मेघालय राज्य के वित्त विभाग को अनुरोध किया गया है। पुनः वित्त विभागीय पत्रांक 1430/वि॰ दिनांक 10.06.2024 द्वारा संबंधित राज्य के वित्त विभागों को स्मारित किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार राज्य सरकार सरकारी कर्मियों को Children Education Allowance देने पर विचार कर सकती है।

झारखण्ड सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

ज्ञापांक : 08/विधि को॰ (7)–15/2024...1820/वि० **राँची/दिनांक: 26·07·2024**

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 3158/वि०स०, राँची, दिनांक 24.07.2024 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि भूषण मेहरा)
अपर सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19 का उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–4447, दिनांक–26.07.2010 के द्वारा सचिवालय लिपिकों की भर्त्ती एवं सेवा शर्त नियमावली प्रकाशित किया गया है;	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि ग्रुप "घ" के सचिवालय कर्मियों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है;	**स्वीकारात्मक।** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–4447, दिनांक–26.07.2010 की कंडिका–7 (1) एवं (5) में तत्संबंधी प्रावधान निरूपित है।
3.	क्या यह बात सही है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नत कर्मियों को नयी नियुक्ति मान रही है;	**स्वीकारात्मक।** सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति उनके मूल संवर्ग से अन्य संवर्ग में होने की स्थिति में इसे नयी नियुक्ति मानी जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नयी नियुक्ति को विलोपित एवं टंकक की वैधता को समाप्त कर पुराने संपुष्टि मानते हुए प्रोन्नति की तिथि को वेतनमान लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–7 / वि0स0–11–02 / 2024 का0 4926 / राँची, 27 दिनांक 27/7/2024

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0–3138 वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/7/2024

(ब्रज माधव)
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०स०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के अनुमंडल कार्यालय गोड्डा (सामान्य शाखा) पत्रांक–128/सा0 दिनांक–03.02.2024 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को सन् 1854–55 में संथाल हुल के नायक शहीद खेतौरी राजवीर सिंह एवं हरदेव सिंह को राजकीय शहीद का दर्जा देने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन बैठक में लिये गये निर्णय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा से प्राप्त अभिलेख/प्रस्ताव अनुशंसा के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रस्ताव के संदर्भ में उपायुक्त गोड्डा द्वारा संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक उपायुक्त, गोड्डा द्वारा अपने पत्रांक–767/सा०, दिनांक–26.07.2027 के द्वारा केवल प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 के आलोक में राजकीय शहीद का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार विषय के प्रति संवेदनशील है, उपायुक्त, गोड्डा से विधिवत अभिलेख प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०(अ०सू०)–07/2024–4592 राँची, दिनांक–28/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3143/वि०स०, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर

प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्रीमती नीरा देवी, पति–श्री डोमन साव, ग्राम पोस्ट–टुंडू, जिला–धनबाद द्वारा बरोरा थाना में कांड संख्या–33/24, दिनांक–12.07.2024 दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर हमला करने वालों के द्वारा उन्हें गंभीर रूप से घायल करने तथा उनकी लहलहाती फसल एवं अन्य संपत्तियों को ध्वस्त करने की बात अंकित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के सरकारी सोशल मीडिया हैण्डल 'एक्स' पर इस संबंध में पोस्ट किये जाने के बाद बरोरा थाना में यह प्राथमिकी दर्ज हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–11.07.2024 को 15.00 बजे घटना के पश्चात् जख्मी वादिनी–सह–पीड़िता के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाघमारा में चिकित्सा के उपरांत पीड़िता–सह–वादिनी द्वारा दिनांक–12.07.2024 को दिये गये आवेदन के आधार पर बरेरा थाना कांड सं०– 33/24, दिनांक–12.07.2024, धारा–191 (2)/191(3)/190/329(3)/127(1)/115(2)/118(1)/117(2)/109/76/302(2)/351(2)/324(4) बी०एन०एस० दर्ज किया गया।
3	क्या यह बात सही है कि पुलिस इस कांड का अनुसंधान करने तथा दबंग अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रति सक्रिय नहीं है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने तथा नष्ट फसल एवं संपत्ति का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त आनन्द शर्मा, पे०–सूरजमल शर्मा, सा०–टुण्डू चिटाही, थाना–बरोरा, जिला–धनबाद को दिनांक–22.07.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विवादित जमीन के वास्तविक मालिक का सत्यापन प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, बाघमारा द्वारा समर्पित किये जाने के पश्चात् जमीन के भू–स्वामित्व के फसल नष्ट होने से संबंधित मुआवजा की कार्रवाई उपायुक्त, धनबाद द्वारा की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–07/2024–4313/ राँची, दिनांक–28/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–3146, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय स०वि०स० श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–07 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने हेतु अपने घोषणा के अनुरूप पहल प्रारंभ की है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के द्वारा 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019)' अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में संबंधित विभागों के द्वारा नियमानुसार योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है, कि सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है, जिसका रिपोर्ट भी सरकार को समर्पित है;	राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवाशर्त्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठाये जा रही माँग की समीक्षा कर अभिमत देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित किया गया है। उक्त समिति की अनुशंसा प्रदान करने की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित समस्या को स्थायी समाधान, इसी वित्तीय वर्ष में करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–10/ज्ञा०वि०स०–15–16/2024 का.–4935/राँची, दिनांक– 27/07/2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3132 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू० 18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न सेवा संवर्गों के तहत स्वीकृत बलों के विरूद्ध लगभग 46,835 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अधिसूचनाएँ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित है ;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कुल 47,139 पदों की तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर से लगभग 1600 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रस्तावित/विज्ञापित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति परिभाषित नहीं रहने के कारण उपरोक्त नियुक्तियों में राज्य के नवजवानों को उचित अवसर नहीं मिल रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्थानीय नीति और नियोजन नीति को परिभाषित कर राज्य के नवजवानों को उचित अवसर प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि– 1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0 3198 दिनांक 18.04.2016 द्वारा "झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान" निर्धारित की गयी है। 2. संकल्प सं0 9567 दिनांक11.11.2016 द्वारा "अन्य सभी मामलों में समानता (All things being equal)" होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय संसूचित है। 3. "झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022" झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 11.11.2022 को पारित तथा दिनांक 20.12.2023 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया गया है। उक्त विधेयक राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :–06/वि०स०–06–12/2024 का०.....4930...../राँची दिनांक :– 27/07/24

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० 3137 दिनांक 24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/2024

(ब्रज माधव)

सरकार के उप सचिव

माननीय स०वि०स० श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–31 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभागीय संकल्प संख्या 1862 दिनांक 31 मार्च, 2003 से लिये गये निर्णय एवं इसके प्रावधान के अधीन राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के सेवकों के वरीयता निर्धारण में दिनांक 06 मार्च, 2024 से पूर्व प्राप्त प्रोन्नति के मामले में प्रोन्नति तिथि के प्रभाव से परिणामी वरीयता अक्षुण्ण है;	वस्तुस्थिति यह है कि 85वाँ संशोधन अधिनियम, 2001 के आलोक में झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–1862 दिनांक–31.03.2003 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं की प्रोन्नति में अनुसूचित जनजाति/अनूसचित जाति के सरकारी सेवकों के लिए परिणामी वरीयता लागू किया गया। 85वाँ संशोधन अधिनियम, 2001 तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में परिणामी वरीयता का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रावधान को W.P.(S.) No.-5882/2003 तथा अन्य संबद्ध मामलों में चुनौती दी गयी थी। इस क्रम में W.P.(S.) No.-2151/2005 तथा W.P.(S.) No.-1667/2005 में क्रमशः दिनांक–03.12.2007 तथा दिनांक–12.09.2008 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वरीयता सूची परिणामी वरीयता प्रावधानित संकल्प सं०–1862 दिनांक–31.03.2003 के परिप्रेक्ष्य में तैयार करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध सिविल रिव्यु नं० 07/2008 तथा सिविल रिव्यु नं० 10/2008 माननीय न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें दिनांक–16.11.2008 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:– The action taken on the basis of the orders under review shall be kept under abeyance till further orders are passed in the writ petitions. इस आदेश के उपरांत संकल्प संख्या–1862 दिनांक–31.03.2003 के आधार पर कार्रवाई स्थगित मानी गयी। सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में वर्ष 2011 से झारखण्ड आरक्षण अधिनियम, 2001 के आधार पर प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक, 2022 झारखण्ड विधानसभा द्वारा पारित है। विधेयक प्राख्यापन के निमित्त अनुवर्त्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है, कि किसी अध्यादेश/वैद्यानिक नियम संबंधी सरकारी संकल्पों/अधिसूचनाओं से लागू किये गये नियम/प्रावधान को कार्मिक विभाग के किसी परामर्श/पत्र से परिवर्तन करना विधिसम्मत् नहीं है;	**स्वीकारात्मक।**

3.	क्या यह बात सही है, कि पथ निर्माण विभाग द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–1 नियमावली, 1939 के नियम–27. झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 के नियम–6 एवं 8 तथा कार्मिक विभागीय संकल्प दिनांक 31 मार्च, 2003 से स्थापित वैद्यानिक नियमों के प्रावधान को कार्मिक विभागीय परामर्श/अनुदेश से बदलकर अभियंत्रण सेवा वर्ग–2 का मूल पद सहायक अभियंता पंक्ति में निर्धारित वरीयता की मान्यता देकर कार्यपालक अभियंता पंक्ति से उपर के पदों पर विगत् वर्षो में प्रोन्नति दी गई है एवं देने की कार्रवाई अभी भी प्रक्रिया में है;	कार्मिक विभागीय परिपत्र संख्या–3463 दिनांक–03.06.2022 के अनुसार वर्त्तमान में राज्यान्तर्गत विभिन्न सेवा/संवर्गों में संवर्गीय उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई मूल कोटि के पद की वरीयता के आधार पर किया जाना है। बिहार अभियंत्रण (इंजीनियरी) सेवा, श्रेणी–1 नियमावली, 1939 के भाग–VII (वेतन) नियम–21 में पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में सहायक अभियंता एवं समकक्ष पदों को उक्त संवर्ग का मूलकोटि नामित किया गया है। साथ ही बिहार अभियंत्रण (इंजीनियरी) सेवा, श्रेणी–1 नियमावली, 1939 के नियम–24 में प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति के संबंध में निम्न तथ्य अंकित है:– *"अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पदों पर प्रोन्नति चुनाव द्वारा की जायेगी और इसके लिए मात्र वरीयता के बल पर दावा नहीं किया जा सकेगा।"* अभियंत्रण सेवा में वर्त्तमान में सहायक अभियंता के पद पर ही सीधी नियुक्ति की जाती है। तदनुसार कार्मिक विभाग के द्वारा परिपत्र संख्या–3463 दिनांक–03.06.2022 के आलोक में अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के निमित्त अभियंत्रण संवर्ग का मूलकोटि का पद सहायक अभियंता मानते हुए प्रोन्नति की कार्रवाई की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पथ निर्माण विभाग सहित अन्य अभियंत्रण कार्य विभागों में कार्मिक विभाग के दोषपूर्ण परामर्श से प्रक्रियाधीन सभी प्रोन्नतियाँ पर अविलम्ब रोक लगाकर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करते हुए सर्वप्रथम कार्यपालक अभियंता पंक्ति (सेवा वर्ग–1) की वरीयता सूची का सृजन संशोधन के उपरान्त ही अधीक्षण अभियंता एवं इससे उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति देने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–10/ज्ञा०वि०स०–15–11/2024 का०–५१५२/राँची, दिनांक– 28/07/2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3153 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–3 की उत्तरसामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016के अवसर पर प्रभातफेरी निकालने वाले राज्य के स्कूली बच्चों के बीच बांटने के लिए टॉफी और टी–शर्ट की खरीद में हुई अनियमितता की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए0सी0बी0) से कराने का निर्देश सरकार ने दिया है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि इस मामले में पी0ई0 (प्राथमिकी इनक्वायरी) दर्ज कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जाँच का काम पूरा कर लिया है और जाँच प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकार को सौंप दिया गया है, परन्तु दोषियों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।	आंशिक स्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची द्वारा विषयगत मामले में अंतिम जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है, जिसपर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई करने का आदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी प्रभाग)

ज्ञाप संख्याः **02/नि0वि0/विधान सभा प्रश्न–02/2024**..... ...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपिः प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखंड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्याः **02/नि0वि0/विधान सभा प्रश्न–02/2024**.....987...../राँची, दिनांक 26/7/24

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0 3128 दिनांक 24.07.2024 के प्रसंग में 200 प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.7.24

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों EWS Certificate निर्गत किए जाते है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि सामान्य जाति के विवाहित महिला का E.W.S Certificate भी पति के Income एवं Asset के आधार पर निर्गत किया जा रहा है, परंतु प्रतियोगी परीक्षा में पति के आधार पर E.W.S Certificate को मान्यता नहीं दी जा रही है तथा विवाहित महिला अभ्यर्थियों से पिता के आधार पर EWS प्रमाण–पत्र की मांग अनुचित रूप से की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय परिपत्र सं0–3980, दिनांक–22.05.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का कोई आवेदक झारखण्ड सरकार के सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्ति में तथा राज्यस्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकेगा। विभागीय संकल्प सं0–1433, दिनांक–15.02.2019 के प्रावधानों के आलोक में विवाहिता महिलाओं को निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र में पिता अथवा पति का नाम अंकित हो सकता है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में सामान्य विवाहित महिलाओं का पति के आधार पर निर्गत EWS Certificate को प्रतियोगी परीक्षाओं में मान्यता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–9/झा0वि0स0–07–13/2024 का0–4939/ रांची, दिनांक 28/07/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्रांक–3156, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 29.07.2024 को सदन में पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27 का उत्तर

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में मुख्यतः नौ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषायें प्रचलित है, परन्तु आजतक इन सभी Languages को "राजभाषा" का दर्जा नहीं मिला है;	**अस्वीकारात्मक।** झारखण्ड के गजट संख्या–778, दिनांक–25.11.2011 एवं गजट संख्या 1084, दिनांक 10.12.2018 के द्वारा झारखण्ड राज्य के कुल 17 प्रचलित जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें निम्न भाषायें सम्मिलित हैं – उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उरांव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं भूमिज।
2	क्या यह बात सही है खण्ड–1 में वर्णित "राजभाषा" का दर्जा नहीं मिलने से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की विकास एवं संरक्षण संवर्धन में बाधा उत्पन्न हो रही है;	**अस्वीकारात्मक।** उपर्युक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्देनजर सभी नौ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिये जाने तथा प्रमंडलीय स्तर पर भाषाई एकेडेमी का स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के संबंध में उपर्युक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1169 दिनांक–27.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रमण्डलीय स्तर पर भाषाई एकेडेमी की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1633 दिनांक–04.07.2024 के द्वारा झारखण्ड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–राज०/वि०स०–13/2024 का०– 112 /राँची, दिनांक– 27-07-2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3157 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29-7-24

सरकार के अपर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–08 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में 45 से अधिक विभागों में अति अल्प मानदेय पर काफी लम्बे समय से संविदा कर्मी कार्यरत हैं?	**अस्वीकरात्मक।** संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569/वि० दिनांक 05.07.2002 के द्वारा मार्गदर्शन निर्देशित है। वर्ष 2002 में निर्गत उक्त वित्त विभागीय परिपत्र के क्रम में वित्त विभाग द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों का समय–समय पर मानदेय/संविदा राशि का निर्धारण किया जाता रहा हैं। वर्तमान में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1284/वि० दिनांक 03.05.2023 द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को नियत एकमुश्त संविदा राशि (मासिक परिलब्धि) अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निम्नांकित मानदेय एवं भत्ते सम्मिलित हैं :– (i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 (यथा संशोधित) द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत Pay Matrix में अनुमान्य किये गये Entry Pay आधारित मानदेय। (ii) उपर्युक्त Entry Pay पर 34% (चौंतीस प्रतिशत) महँगाई भत्ता। (iii) छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किये गये चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता (जहाँ अनुमान्य हो)। उपरोक्त मानदेय एवं भत्तों को सम्मिलित करते हुए संविदा कर्मियों को उनके पद के निमित्त स्वीकृत Pay Level-1 से Pay Level-15 तक का अलग–अलग संविदा राशि निर्धारित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सभी संविदा कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल रहा है?	**स्वीकरात्मक।** यह बात सही है कि राज्य के संविदा कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी संविदाकर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 4011 दिनांक 18.08.2020 द्वारा राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवा शर्त्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में

	एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4897 दिनांक 26.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त समिति की दिनांक 24.02.2024 को सम्पन्न बैठक में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्त्त नियमावली का मानक प्रारूप गठित कर समिति के समक्ष विचारार्थ रखने का निदेश दिया गया है। उक्त के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

ज्ञापांक : 08 / विधि को॰ (7)–16 / 2024....1822/वि० **राँची / दिनांक: 27.02.2024**

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 3129 दिनांक 24.07.2024 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/2024

(लाल हेमन्त नाथ शाहदेव)
उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 29.07.2024 को सदन में पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–16 का उत्तर

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि कुडमाली भाषा को झारखण्ड ट्रइबल वेलफेयर रिसर्च इस्टीट्युट राँची (JTWRI) के द्वारा किये गये Mother Tongue Based Active Language Learning akhra द्वारा बच्चों के शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013 में कुडमाली सहित 10 झारखण्डी भाषाओं को जनजातीय भाषा के अन्तर्गत रखा गया है;	**अस्वीकारात्मक।** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1953 दिनांक–28.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Mother Tongue Based Active Language Learning akhra UNICEF द्वारा वित्त पोषित एवं तत्कालीन राँची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला थी जिसे JTWRI के परिसर में किया गया था। उक्त कार्यक्रम सर्वेक्षण नहीं बल्कि कार्यशाला थी जिसके द्वारा 5 जनजातीय भाषाओं एवं 4 क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों की शिक्षा के लिए Primer विकसित किया गया था। इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि JTWRI के उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुडमाली को जनजातीय भाषा में शामिल करने के बावजूद कुडमाली को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है, तथा उक्त संस्थान की रिपोर्ट को भी गलत माना गया है;	**अस्वीकारात्मक।**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन के अनुसार कुडमाली भाषा को जनजातीय भाषा की श्रेणी में रखना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–राज०/वि०स०–14/2024 का०–**113** /राँची, दिनांक–**28.07.2024**

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3135 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/24

सरकार के अपर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के अवर सचिव के पत्रांक–18/विविध (07)–02–2020–1112 दिनांक 09.03.2023 के आलोक में लातेहार जिला अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद (SCA) से वित्तीय वर्ष–2018–19 एवं 2019–20 की चल रही जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की शेष बची राशि लगभग 814.95 लाख रूपया SNA खाता में हस्तानान्तरित कर दिया गया है, जिससे स्थानीय संवेदको को उनके द्वारा की गई कार्यों का भुगतान विगत 4–5 वर्ष से लंबित है ;	**स्वीकारात्मक।** पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–567/लेखा, दिनांक 13.10.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि लातेहार जिला द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) योजना की राशि कुल रू० 11,69,86,573/– मात्र Non-SNA खाता से SNA खाता सं०–40620181856 में अन्तरित की गई है। उक्त राशि में से मूलधन की राशि रू० 9,17,58,543/– तथा सूद की राशि रू० 2,52,28,030/– मात्र है। सूद की राशि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को वापस कर दी गई है। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–31, दिनांक 22.03.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि SCA के तहत् लातेहार जिला में वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में कुल रू० 8,14,90,453/– मात्र भुगतान हेतु लंबित है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनः SNA खाता से PFMS पोर्टल में हस्तानान्तरित करने हेतु लातेहार उपायुक्त के पत्रांक– 77, दिनांक– 16.05.2023 द्वारा संबंधित विभाग को पत्राचार भी किया गया है परंतु विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं किया गया है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** विभिन्न वित्तीय वर्षों में जिले को आवंटित राशि के विरूद्ध संबंधित जिला द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, यद्यपि पूर्ण कराये गये कार्य का भुगतान भी लंबित है। अतः आवंटित राशि से अधिक राशि का योजना कार्य कराया गया है अथवा बगैर भुगतान के आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तथा राशि SNA खाता में अन्तरित कर दी गई है, उल्लेखित बिन्दु पर विभागीय पत्रांक–3259, दिनांक 06.06.2024 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवेदकों को हो रही आर्थिक कठिनाईयों के मद्देनजर राशि हस्तानान्तरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, लातेहार से अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –03/वि०स० (अ०सू० प्रश्न)–08–08/2024 4305 **/राँची, दिनांक–**27/07/**2024 ई०।**

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3148/वि०स०, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/24

सरकार के अपर सचिव।

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र खनन, औद्योगिक एवं घनी आबादी क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि निरसा विधान सभा क्षेत्र के संजय चौक, मैथन चौक, चिरकुण्डा शहीद चौक, निरसा चौक, निरसा हटिया मोड़, निरसा सिनेमा मोड़ तथा तेतुलिया मोड़ अत्यंत ही घनी आबादी तथा व्यस्ततय क्षेत्र है तथा यहाँ अब तक यातायात पुलिस कि व्यवस्था नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्थानीय थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा उल्लेखित स्थानों पर यातायात व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त व्यस्ततय क्षेत्रों में यातायात पुलिस की व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाऐं होते रहती है तथा सड़क जाम लगा रहता है व जान–माल की क्षति होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इन स्थानों पर सामान्यतः जाम की समस्या नहीं होती है। कभी–कभार जाम होने पर स्थानीय थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात व्यवस्था नियंत्रित किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निरसा विधान सभा क्षेत्र के उपर्युक्त व्यस्ततय स्थानों पर यातायात पुलिस की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उल्लेखित स्थानों पर स्थानीय थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। वर्त्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–11 / 2024–4590/ राँची, दिनांक–28/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3151, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला सहित संथाल परगना प्रमण्डल में बांगलादेशी घुसपैठ कर बड़े पैमाने पर अवैधानिक रूप से फर्जी आधार कार्ड व विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रपत्र बनाकर राज्य में निवासित हो रहे है	आंशिक स्वीकारात्मक। विगत 8 वर्षों में संथाल परगना प्रमंडल से मात्र साहेबगंज जिला में इस संबंध में 04 मामले प्रतिवेदित हैं, जो निम्नवत हैं :– 1. राधानगर थाना काण्ड सं0–12/16, दिनांक–18.03.2016, धारा–467/468/471/120बी IPC एवं 14/14ए विदेशी एक्ट । 2. राधानगर थाना काण्ड सं0–44/18, दिनांक–12.05.2018, धारा–467/468/471/120बी IPC एवं 14/14ए विदेशी एक्ट । 3. राधानगर थाना काण्ड सं0–110/17, दिनांक–16.10.2017, धारा–419/420/468/471 IPC एवं 14/12(IA) भारतीय पासपोर्ट एक्ट 1967 एवं 4. राजमहल थाना काण्ड सं0–44/23, दिनांक–25.02.2023, धारा–14(a)(b) &14c विदेशी एक्ट।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित तथ्यों के आधार पर वहाँ के डेमोग्राफी में स्वतंत्रता के बाद के दशकों में आमूलचूल परिवर्तन/अप्रत्याशित वृद्धि हुए है, जिससे राज्य व देश की आंतरिक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो चुका है	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस तरह की कोई सूचना नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) एवं (2) में तथ्यों के आधार पर क्या कार्रवाई कर चुकी है तथा राज्य की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन घुसपैठियों को चिन्हित करने हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन करते हुए चिन्हित दोषियों पर विधि–सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक– 10/वि०स०–710/2024–4589/ राँची, दिनांक–28/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3139/वि०स०, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/24
सरकार के संयुक्त सचिव

माननीय स०वि०स० श्री विकास कुमार मुंडा द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–01 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बुण्डू अनुमंडल में अब तक कारागार समेत कुल–07 कार्यालयों की स्थापना नहीं हो पाई है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक–2732 दिनांक–17.12.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बुण्डू में अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समकक्ष क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय अवस्थित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि 18/03/2023 को पत्रांक– संख्या–4847 के द्वारा कार्मिक विभाग ने सभी कार्यालयों की स्थापना हेतु पत्राचार किया था परन्तु अब तक एक भी कार्यालय स्थापित नहीं हो पाई है;	**स्वीकारात्मक।**
3.	क्या यह बात सही है, कि पुनः मेरे पहल पर कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक–15/12/2023 को सभी कार्यालयों की स्थापना के संबंध में संबंधित विभागों को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया था जो अब तक अप्राप्त है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–6013 दिनांक–16.12.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बुण्डू अंचल के मौजा–सलगाडीह में उपकारा बुण्डू का निर्माण प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक–4057 दिनांक–15.12.2023 के द्वारा अनुमण्डल कृषि कार्यालय की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने की बात कही गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बुण्डू अनुमंडल में सभी लंबित 07 कार्यालयों को स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–4915 दिनांक–26.07.2024 के द्वारा पुनः संबंधित विभागों से बुण्डू अनुमण्डल में न्यायालय/कार्यालय स्थापित करने के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–10/झा०वि०स०–15–13/2024 का०–4932/राँची, दिनांक– 27/06/2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3130 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/06/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में उपायुक्त, पलामू के द्वारा विज्ञापन संख्या– 01/2024, दिनांक– 02.07.2024 के माध्यम से चौकीदार के 156 पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** पलामू जिले में उपायुक्त के द्वारा विज्ञापन सं०– 01/2024, दिनांक– 20.07.2024 के माध्यम से चौकीदार के रिक्त कुल 155 पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया है;	**स्वीकारात्मक।** पलामू जिला में चौकीदार बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन (01/2024, दिनांक– 20.07.2024) में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के द्वारा आरक्षण रोस्टर शोधन कोटिवार अनुमोदित किया गया है। जिसके अनुसार पलामू जिला में चौकीदार संवर्ग का कुल स्वीकृत पद–443 है, जिसके विरूद्ध कार्यरत बल–281 है तथा रिक्त पद 162 है, जिनमें अनुसूचित जाति श्रेणी अन्तर्गत कुल स्वीकृत पद 120 के विरूद्ध वर्तमान में 120 चौकीदार कार्यरत हैं। जिस कारण प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए रिक्त पद की संख्या शून्य है।
3	क्या यह बात सही है कि अखंड बिहार में बंगाल चौकीदार अधिनियम–1870 के तहत चौकीदारों को बहाल किया जाता था, ब्रिटिश काल के जमाने से अनुसूचित जाति के दुसाध उपजाति के लोगों को ही चौकीदार बहाल किया जाता था तथा चौकीदार की सेवानिवृति अथवा निधन होने पर वंशानुगत प्रथा के तहत बहाल किया जाता था;	बिहार सरकार, गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक–10129, दिनांक–06.11.1991 के आलोक में वैसे व्यक्ति जो दिनांक–01.01.1990 के पूर्व से एवज (पिता या भाई के मृत्यु के उपरांत या पुराने चौकीदार के परिवार के हों और उनकी अनुशंसा पर एवज में आये हों) में चौकीदार के रूप में काम कर रहे हों, को अनुकम्पा के आधार पर अपवाद स्वरूप सेवा में नियमित किया गया था। वर्तमान में झारखण्ड चौकीदारी संवर्ग नियमावली, 2015 सह पठित संशोधित नियमावली, 2019 के द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा शर्त्तों एवं प्रोन्नति को विनियमित किया गया है।
4.	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के एकमात्र दुसाध उपजाति से संपूर्ण अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, ऐसे में खंड–1 में वर्णित चौकीदार बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण शून्य किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है;	**कण्डिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।**
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित पलामू जिले में चौकीदार के पद पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्ति के विरूद्ध आरक्षण सुनिश्चित कर पुनः विज्ञापन प्रकाशित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	**कण्डिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।**

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०(अ०सू०)–08/2024–4580/ रॉंची, दिनांक–28/7/ 2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3154/वि०स०, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 28/7/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०स०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 12 उग्रवाद प्रभावित जिलों में अनुबंध के आधार पर सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सात वर्षों के सेवा अवधि के बाद भी इनका मानदेय मात्र 10 हजार रूपये है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल इनकी सेवा में विस्तार व मानदेय में वृद्धि करते हुए स्थायी नियुक्ति में इन्हें प्राथमिकता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सहायक पुलिस के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सरकार द्वारा गठित समिति में शामिल माननीय विधायक एवं आन्दोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिगण के साथ दिनांक–22.07.2024 को हुए समझौता के क्रम में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–08 / 2024–1569 / राँची, दिनांक– 26/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3142, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/07/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय एवं चौपारण थाना के भगहर पंचायत की दूरी लगभग 25 कि०मी० है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि भगहर पंचायत की दूरी लगभग 25 कि०मी० होने के कारण किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं हो पाता है;	अस्वीकारात्मक। चौपारण थाना द्वारा तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भगहर पंचायत में पुलिस पिकेट स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्त्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–10 / 2024–4591 / राँची, दिनांक–28/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3150, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रामगढ़ में विगत वर्षों में हत्या, चोरी, चैन छिन्नतई, डकैती, लूट जैसी आपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि का कारण पर्याप्त पुलिस बल की कमी है ;	अस्वीकारात्मक। रामगढ़ जिला में स्वीकृत पुलिस बल–665, उपलब्ध पुलिस बल–469 । कुल रिक्ति-196
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ जिला में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अपराध रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–08/2024–4314/ राँची, दिनांक–28/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–3140, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि 11 नवम्बर–2022 को विधानसभा के विशेष सत्र द्वारा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक पारित किया गया है तथा दिनांक–20 दिसंबर–2023 को पुनः पारित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त विशेष सत्र में ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने के साथ–साथ SC/ST के आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक पास किया गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक। आरक्षण प्रतिशत निम्नवत् निर्धारण हेतु "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022" झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित हैः– (क) अनुसूचित जाति – 12 प्रतिशत (ख) अनुसूचित जनजाति – 28 प्रतिशत (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) – 15 प्रतिशत (घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) – 12 प्रतिशत (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)– 10 प्रतिशत कुल 77 प्रतिशत
3.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त उक्त दोनों विधेयक विधान सभा से पारित होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया है जिसके कारण झारखण्ड राज्य के लाखों शिक्षित बेरोजगारों एवं पिछड़ों को उनका हक एवं अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है;	वस्तुस्थिति यह कि आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022" झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को पारित किया गया है। "झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022" झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को पारित तथा दिनांक–20.12.2023 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया गया है। उक्त दोनों विधेयक राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों अधिनियम को झारखण्ड राज्य में यथाशीघ्र लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–9/झा0वि0स0–07–11/2024 का0–4941/ रांची, दिनांक 28/07/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके ज्ञापांक–3136, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/24
(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

माननीय स०वि०स० श्री बिरंची नारायण द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10 से संबंधित उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो समेत राज्यभर में विभिन्न संविदाकर्मी जैसे पारा शिक्षक, सहायक पुलिस, होमगार्ड, पारा मेडिकल कर्मी, सेविका– सहायिका– रसोईया, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इत्यादि आंदोलनरत हैं, और नरेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार और अन्य में पारित आदेश तथा झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2015 में गठित रेगुलराइजेशन पालिसी, जिसे 2019 में सरकार ने संशोधित किया था, के आधार पर 10 वर्षों से अधिक समय से लगातार अनुबंध पर कार्यरत ये लोग अपने को परमानेंट करने के साथ वेतनमान की मांग कर रहें हैं;	राज्य अन्तर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों यथा, पारा शिक्षक, सहायक पुलिस, होमगार्ड, पारा मेडिकल कर्मी, सेविका– सहायिका– रसोईया, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इत्यादि पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित पदों के लिए अनुबंध हेतु विहित प्रावधानों के तहत की जाती है। प्रावधानित/विहित अनुबंध की शर्त्तों के आलोक में संबंधित कर्मियों को मानदेय आदि का भुगतान किया जाता है। कार्मिक विभाग के द्वारा 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019)' अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में संबंधित विभागों के द्वारा नियमानुसार योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई की जाती है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल कंडिका–01 में वर्णित अनुबंधकर्मियों को परमानेंट कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–10/झा०वि०स०–15–11/2024 का०–4933/राँची, दिनांक– 27/07/2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3133 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार महान्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०स०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरूस्त रखने के लिए अनुबंध पर सहायक पुलिस कर्मियों को तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्ति दी गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मात्र 10,000/– रू0 के मानदेय पर ये पुलिस कर्मी विधि व्यवस्था, ट्रैफिक, थाना एवं चुनाव ड्यूटि आदि में निष्ठापूर्वक अपनी सेवा दे रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित कर्मियों की अनुबंध समाप्त हो जाने की आशंका से उनके द्वारा समय–समय पर अपनी सेवा स्थायीकरण की माँग उठाई जाती रही है;	विभागीय अधिसूचना संख्या–1169, दिनांक–27.02.2017 की कंडिका–10 (क) के अनुसार सहायक पुलिस की सेवा 02 (दो) वर्षों के लिए अनुबंध पर होगी, जिसे 01–01 एक–एक वर्ष के लिए कुल अनुबंध सेवा 07 (सात) से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। उक्त अधिसूचना की कंडिका–10 (ग) के अनुसार सहायक पुलिस के पद पर की गई सेवा मात्र अनुबंध के आधार पर की गई सेवा होगी तथा इसके आधार पर भविष्य में किसी प्रकार की स्थायी नियोजन अथवा अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। इस संबंध में प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को चयनोपरान्त इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित कर्मियों की सेवा स्थायीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सहायक पुलिस को स्थायी करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। सहायक पुलिस के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सरकार द्वारा गठित समिति में शामिल माननीय विधायक एवं आन्दोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिगण के साथ दिनांक–22.07.2024 को हुए समझौता के क्रम में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–09/2024–...4568./ राँची, दिनांक– 26/07/2024 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3144, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/07/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय स०वि०स० डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–05 से संबंधित उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाइयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक वर्ष–2019 से आज तक आहूत नहीं हो पाई है;	**अस्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रखण्ड पाँकी, मनातू एवं तरहसी को मिलाकर पाँकी को अनुमंडल बनाने हेतु आयुक्त, पलामू प्रमंडल एवं उपायुक्त, पलामू की अनुशंसा जनवरी–2019 में प्राप्त है;	**स्वीकारात्मक।**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित प्रखण्डों को मिलाकर पाँकी को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। पांकी को अनुमण्डल का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् 'पांकी' को अनुमण्डल का दर्जा देने के बिन्दु पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–10/ज्ञा०वि०स०–15–12/2024 का.–4934/राँची, दिनांक– 27/07/2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3131 दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–29.07.2024 को विधानसभा में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राज्य में उग्रवादी, आतंकवादी घटनाओं में मृत सामान्य नागरिकों हेतु मुआवजा व नौकरी का प्रावधान है ;	**स्वीकारात्मक।**
02	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्राकृतिक आपदा में मृत नागरिकों हेतु मुआवजा का प्रावधान है;	**स्वीकारात्मक**
03	क्या यह बात सही है कि राज्य चोर–डकैत, अपराधियों द्वारा मृत सामान्य व निर्दोष नागरिकों के आश्रितों को मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है ;	**अस्वीकारात्मक** किसी अपराध के कारण हुई हानि या क्षति से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित को अपेक्षित पुनर्वास के प्रयोजनार्थ विभागीय अधिसूचना संख्या–5190, दिनांक–29.09.2016 द्वारा झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2016 लागू किया है। इस स्कीम के तहत अपराध के कारण विभिन्न प्रकार की हानि/क्षति जिसमें मृत्यु/हत्या भी शामिल है, के लिए पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रित को प्रतिकर अर्थात मुआवजा भुगतान का प्रावधान है। हत्या के मामले में न्यूनतम रूपये 2,00,000.00 (दो लाख) प्रतिकर/मुआवजा भुगतान का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समुचित प्रतिकर (मुआवजा) का निर्धारण तथा भुगतान किया जाता है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चोर–डकैत, अपराधियों द्वारा मृत सामान्य व निर्दोष नागरिकों के आश्रितों के मुआवजा हेतु प्रावधान करेगी, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चोर–डकैत, अपराधियों द्वारा सामान्य व निर्दोष नागरिकों के हत्या के मामले में आश्रितों को प्रतिकर अर्थात मुआवजा का भुगतान उक्त उल्लेखित झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2016 के तहत किया जाता है। अतः वर्तमान में चोर–डकैत, अपराधियों द्वारा सामान्य व निर्दोष नागरिकों के हत्या के मामले में आश्रितों को मुआवजा भुगतान हेतु अलग से कोई प्रावधान करना प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०–04/2024– 4581 **/राँची,** **दिनांक–** 28/7/**2024 ई०।**

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3147, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार यादव (20), माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 29 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों में अधिकारियों की कमी या विभाग में अधिकारियों की सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के सैकड़ों पद रिक्त है, जिससे आम नागरिकों के मूलभूत कार्य प्रभावित होते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी का पद झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का पद है। मूल कोटि के पदाधिकारियों की उपलब्धता एवं अधियाचना के आधार पर उनकी सेवाएँ ग्रामीण विकास विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाती है। वैसे प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय जहाँ पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, उन कार्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था (अतिरिक्त प्रभार) के तहत आम नागरिकों के मूलभूत कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पड़े सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु पर्याप्त अधिकारियों की सेवा ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल के कोटि के पदाधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु उनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पदस्थापन हेतु उपलब्ध करायी जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2/विधानसभा–08–02/2024 का॰ **4931**/ राँची, दिनांक **27** जुलाई, 2024

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 3155 वि.स. दिनांक 24.07.2024 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि NCRB के अनुसार झारखण्ड में जनवरी, 2020 से अप्रैल, 2024 तक करीब सवा चार साल में हत्या के 7812, बलात्कार के 7115, अपहरण के 6933, दंगा के 8592, लूट के 2721, डकैती के 485, नक्सल के 51 और डायन बिसाही के 98 सहित कुल संज्ञेय अपराध 2,73,261 का रिकॉर्ड प्रकाशित किया गया है ;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि सबसे अधिक क्राईम राजधानी राँची में घटित हो रहे हैं, जहाँ पुलिस का पूरा महकमा सबसे अधिक पुलिस बल के साथ सभी अत्याधुनिक संसाधनों और उपकरणों के साथ होते हुए भी अपराध नियंत्रण में नाकाम हैं और साईबर अपराध, नशे से जुड़े अपराध, जमीन से जुड़े अपराध, आर्थिक अपराध, महिलाओं से जुड़े अपराध, लूटपाट, छिनतई इत्यादि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि राँची में सभी प्रमुख स्थानों और सड़कों में उन्नत CCTV लगे हुए हैं, लेकिन दिनदहाड़े क्राइम कर गोली मार के अपराधी आराम से भाग जाते हैं ;</td><td>राँची जिला में वर्ष 2020, 2021 2022 एवं 2023 में दर्ज कांडों का वर्षवार अपराध आँकडा निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>हत्या</th><th>डकैती</th><th>लूट</th><th>दंगा</th><th>बलात्कार</th><th>अपहरण</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>167</td><td>10</td><td>221</td><td>100</td><td>231</td><td>208</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>186</td><td>07</td><td>166</td><td>75</td><td>206</td><td>194</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>168</td><td>03</td><td>157</td><td>74</td><td>190</td><td>218</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>142</td><td>10</td><td>116</td><td>28</td><td>232</td><td>196</td></tr>
</table>
आपराधिक ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि आपराधिक घटनाओं में कमी हो रही है। राँची जिला में भूमि–विवाद और नशे से जुड़े मामलों के लिए SIT का गठन किया गया है। राज्य में नये साईबर थानों का सृजन किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा नशाखोरी रोकने हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में झारखण्ड में अपराध नियंत्रण हेतु तत्काल ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>अपराधियों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई से अपराध ऑकडों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से वर्षवार कमी आई है।
अपराध नियंत्रण हेतु अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा शुरू की गई प्रतिबिंब web Portal द्वारा पुरे देश में साईबर अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे मोबाईल के विरुद्ध प्रतिदिन "Real time Monitoring" की जाती है। इस प्रकार पोर्टल के प्रारंभ के उपरांत साइबर अपराध के विरूद्ध राज्य में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। झारखण्ड पुलिस द्वारा प्रारम्भ किये गए प्रतिबिंब "Web Portal" का इस्तेमाल झारखण्ड पुलिस के अतिरिक्त अन्य राज्यों के पुलिस द्वारा भी की जा रही है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–06/2024-4315/ राँची, दिनांक– 28/07/2024ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–3141, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/24
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.07.2024 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक, राँची के कार्यालय ज्ञापांक–660 / गो0 दिनांक–18.01.2024 के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक हटिया, राँची से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक, हटिया राँची के कार्यालय ज्ञापांक–328 / 24, दिनांक–11.02.2024 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–08.01.2024 की रात्री राँची स्थित अरगोड़ा चौक में ड्यूटी पर तैनात पु0अ0नि0 सुबोध कुमार के विरूद्ध, अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा जाँच प्रतिवेदन में किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के कार्यालय ज्ञापांक–2403 / गो0, दिनांक–14.02.2024 के माध्यम से पु0अ0नि0 सुबोध कुमार अरगोड़ा थाना राँची से विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए स्पष्टीकरण की माँग की गई है, जो अबतक अप्राप्त है;	अंशिक स्वीकारात्मक। पु0अ0नि0 सुबोध कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 एवं 3 के आलोक में विभागीय समुचित कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पु0अ0नि0 सुबोध कुमार के विरूद्ध राँची जिला विभागीय जाँच संख्या–1569 / 2024 प्रारंभ किया गया है, जो संचालनरत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–02 / 2024–4588 / राँची, दिनांक–28/07/2024ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3145, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा.स.वि.स. द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 29.07.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर सामग्री
1. क्या यह बात सही है कि Bihar Re-organisation Act-2000 में यह प्रावधानित है कि जो भी सरकारी सम्पत्ति/परिसम्पत्ति जिस राज्य में होगी, वह उस राज्य की स्वामित्व एवं दायित्व में निहित होगा?	**स्वीकारात्मक।** बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47(1) के प्रावधानानुसार विद्यमान बिहार राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से संबंधित आस्तियां और दायित्व उस राज्य को संक्रांत हो जाएंगे, जिसमें वह उपक्रम अवस्थित हो।
2. क्या यह बात सही है कि विनिर्दिष्ट संपत्तियाँ यथा :– (a) Cattle Feed Plant, Ranchi	**(a)** कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) के द्वारा सूचित किया गया है कि झारखण्ड राज्य में अवस्थित राँची, जमशेदपुर, बोकारो डेयरी एवं पशु आहार कारखाना, राँची का स्वामित्व एवं संचालन COMFED के पास है। राज्य के किसानों के हित में झारखण्ड राज्य में अवस्थित जमशेदपुर, राँची, बोकारो डेयरी प्लांट एवं पशु आहार कारखाना, राँची का स्वामित्व झारखण्ड राज्य को हस्तांतरित करने हेतु कई बार बैठक आयोजित की गई एवं पत्रों के माध्यम से भारत सरकार एवं बिहार सरकार को समय–समय पर अनुरोध किया गया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक 648 दिनांक 19.06.2024 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की 14वीं स्टैंडिंग कमिटि की बैठक के एजेण्डा में झारखण्ड राज्य में अवस्थित COMFED द्वारा प्रबंधित राँची, जमशेदपुर, बोकारो डेयरी प्लांट एवं पशु आहार कारखाना, राँची के स्वामित्व से संबंधित मामला को जोड़ने हेतु अनुरोध किया गया है।
(b) Ranchi- Hinoo स्थित इंदिरा पैलेस Bihar State Co-Operative Sociaty Ltd.	**(b)** कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के द्वारा सूचित किया गया है कि राँची, हिनू में अवस्थित इंदिरा पैलेस के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है :– 1. संयुक्त सचिव (सहकारिता)–सह–केन्द्रीय निबंधक, सहयोग समितियाँ, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र में बिहार राज्य हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, ललित भवन, पटना का Multi

	State Cooperative Societies Act, 2002 के अंतर्गत निबंधित किए जाने तथा उक्त संस्थान का निर्वाचन संबंधी दिशानिर्देश का उल्लेख है । 2. इस कार्यालय के पत्रांक 311 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को बिहार पुर्नगठन अधिनियम, 2000 के द्वारा बिहार राज्य एवं झारखण्ड राज्य के बीच परिसम्पतियों एवं दायित्वों के बँटवारे के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।
(c) Electric Equipment Factory, Tatisiway, Ranchi (d) High Tention Insulator Facary, Silway, Ranchi	**(c, d)** उद्योग विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा हेतु इकाईयों (Electric Equipment Factory, Tatisiway, Ranchi, High Tention Insulator Facary, Silway, Ranchi तथा अन्य) के मूल्यांकन की कार्रवाई की जा रही है।
(e) दिल्ली स्थित Bihar House में झारखण्ड की हिस्सेदारी	**(e)** मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय प्रभाग) के द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार सरकार द्वारा बंगला साहिब, रोड, नई दिल्ली स्थित 2803 वर्ग मीटर जमीन झारखण्ड सरकार को वर्ष 2014 में हस्तगत किया है, जिस पर नए झारखण्ड भवन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही बिहार भवन एवं बिहार निवास की सम्पत्ति में हिस्से के रूप में 25,09,37,224/-- मात्र की राशि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड सरकार को प्राप्त कराया गया है। अतः वर्तमान में दिल्ली स्थित बिहार भवन में झारखण्ड की हिस्सेदारी नहीं है।
(f) सैनिक कल्याण निदेशालय के करोड़ो रूपये का फंड का बंटवार	**(f)** गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, जवान भवन–सह–सैनिक बाजार कोष में वर्ष 2000 में 70.00 लाख की एफ॰डी॰ राशि के निकासी पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगायी गयी है। वर्तमान में संबंधित मामला W.P.(C) No. 5204/2003 के तहत माननीय उच्च न्यायालय, राँची में विचाराधीन है।

(g) झारखण्ड का केडेस्ट्रल मैप आदि पर आज भी Govt. of Bihar का ही स्वामितव है,	(g) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि :– (i) झारखण्ड राज्य से संबंधित सभी कैडेस्ट्रल मैप बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, पटना से प्राप्त कर लिया गया है तथा वर्तमान में सभी मैप बंदोबस्त कार्यालय, राँची में संधारित हैं। (ii) संकल्प सं० 342/नि०रा०, दिनांक 28.10.14 के द्वारा निर्धारित रू० 200/– (दो सौ) मात्र प्रति नक्शा के दर से राजस्व मैप को आदेश सं० 831/नि०रा०, दिनांक 07.12. 2016 के द्वारा रैयतों/आम नागरिकों/संस्थाओं को उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित स्वामित्व के कारण झारखण्ड राज्य को राजस्व का भारी क्षति हो रही है?	बिहार हाउस, दिल्ली एवं केडेस्ट्रल मैप आदि के संबंध में आस्ति एवं दायित्व का बँटवारा/Settlement हो चुका है। झारखण्ड राज्य को उसकी हिस्सेदारी प्राप्त हो चुकी है। Cattle Feed Plant, Ranchi, Indra Palace Bihar State Co-operative Society, Electric Equipment Factory, Tatisiway, Ranchi, High Tention Insulator Facary, Silway, Ranchi, सैनिक कल्याण निदेशालय आदि के आस्ति एवं दायित्व के बँटवारे के संबंध में सम्बद्ध विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विषय की गंभीरता के मद्येनजर प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–35/वि०स०–01/2024....1823/वि० **राँची/दिनांक:**....25.07.2024

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 3127/वि०स०, राँची, दिनांक 24.07.2024 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कपिलदेव पंडित)
अवर सचिव